न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 18/2019

निर्णय दिनांक :– 5-12-2019

रामकरणनाथ पुत्र नेतनाथ जाति सिद्ध निवासी भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ़ जिला चुरू

... प्रार्थी

बनाम

1. काननाथ पुत्र गोरनाथ जाति सिद्ध निवासी भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ
2. रामनाथ उर्फ जेरामनाथ पुत्र गोरनाथ जाति सिद्ध निवासी भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार ठठेरा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मगनाथ सिद्ध अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 20.5.2019 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपस में एक ही परिवार के है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 सगे चाचा के लड़के भाई है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त के दो खेत खसरा नं. 343/291 तादादी 0.4173 हैक्टयेर (01 बीघा 13 विश्वा) एवं खसरा नं. 347/290 तादादी 0.8347 हैक्टेयर (03 बीघा 06 विश्वा) वाके रोही भरपालसर बीदावतान में स्थित है। प्रार्थी इसका एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने दिनांक 4.5.2017 को अप्रार्थी सं. 1 से खेत ख.नं. 291/259 तादादी 11 बीघा 2 विश्वा भूमि में से दिखणादी तरफ की 01 बीघा 13 विश्वा खरीदी थी, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम ख.न. 343/291 दर्ज हो गई । प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 से दिनांक 4.5.2017

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

को ख.नं. 290/259 तादादी 11 बीघा 02 विश्वा में से दिखणादी तरफ की 3 बीघा 06 विश्वा भूमि खरीदी थी जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम ख.न. 347/290 दर्ज हो गई। अप्रार्थीगण ने खरीदशुदा भूमि कब्जा प्रार्थी को संभला दिया था तथा मौके पर कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है। प्रार्थी के ख.नं. 343/291 के उतरी तरफ अप्रार्थी सं. 1 का खेत तथा ख.नं. 347/290 के उतरी तरफ अप्रार्थी सं. 2 का खेत स्थित है। अप्रार्थीगण आपस में सांठगांठ किये हुए है तथा उनके मन में लालच आ गया है। खेत विकय करने के बाद उनका उपरोक्त दोनो खेतों से कोई सम्बन्ध नही रहा है। प्रार्थी दिनांक 20.5.2019 को खेत संभालने गया तो अप्रार्थीण सं. 1 व 2 ने कहा कि खेत में मत घुसना ना ही खेत काश्त करने की चेष्टा करना, खेत हमारा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाया कि खेत आपका नही है। जिस पर अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी कि खेत में प्रवेश नही करने देगें तथा नाजायज कब्जा करके खेत से बेदखल कर देगें। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 को समझाया कि वो ऐसा नही करे जिस पर वो मानने से साफ इन्कार हो गये। यही प्रार्थना पत्र का कारण है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वर्जित किया जाना जरूरी है कि वोह प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी के खेत ख.नं. नं. 343/291 तादादी 0.4173 हैक्टयेर (01 बीघा 13 विश्वा) एवं खसरा नं. 347/290 तादादी 0.8347 हैक्टेयर (03 बीघा 06 विश्वा) कुल तादादी 1.2520 हैक्टेयर (4 बीघा 19 विश्वा) वाके रोही भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ में जबरदस्ती प्रवेश नही करें नाही प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलान्दाजी नही करें ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित असर पड़े।

3. अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को खेत से बेदखल करने की धमकी दी है तथा नाजायज कब्जा करने की कुचेष्टा की है। यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने इरादों में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति पहूंचेगी, जिसकी पूर्ति हरजाने से नही हो सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तिय क्षति के सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 8.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी ने उक्त वादगत भूमि खरीद नही की थी। पारिवारिक विवाद के चलते उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से में कम होने के कारण व मन मुटाव को मिटाने के लिए उक्त दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया था। उक्त खेतों के प्राकृतिक सींव 50 वर्षो से अधिक समय से कायम है। प्रार्थी ने उक्त खेतों के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण से कोई चर्चा नही की है इसलिए कथित दिनांक को ऐलानिया धमकी देना कतई स्वीकार नही है। इस प्रकार की कोई घटना घटित नही हुई है इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्तिय क्षति नही है तथा प्रथम दृष्टया

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थना पत्र मनघड़त बनावटी कहानी बनाकर प्रस्तुत किया है। इसलिए इसी स्टेज पर मय कोस्ट खारिज फरमाया जावे।

5. बहस उभय पक्ष अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी वादगत भूमि खेत खसरा नं. 343/291 तादादी 0.4173 हैक्टयेर (01 बीघा 13 विश्वा) एवं खसरा नं. 347/290 तादादी 0.8347 हैक्टेयर (03 बीघा 06 विश्वा) वाके रोही भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ का रेकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि दिनांक 4.5.2017 को विक्रय की गई है। प्रार्थी ने बेचान की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की है। वादगत भूमि के विक्रय के पश्चात प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर अलग खसरे बन चुके है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब व बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाये गये है। इस प्रकार भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से विक्रय करने के पश्चात अप्रार्थीगण का कोई अधिकार वादगत भूमि में नही रह जाता है। वादगत भूमि के विक्रय के पश्चात नये खसरे भी बन चुके है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से भी इन्कार नही किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी देने से अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 02 को दावा के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि प्रार्थी की वादगत भूमि खेत खसरा नं. 343/291 तादादी 0.4173 हैक्टयेर (01 बीघा 13 विश्वा) एवं खसरा नं. 347/290 तादादी 0.8347 हैक्टेयर (03 बीघा 06 विश्वा) कुल तादादी 1.2520 हैक्टेयर (04 बीघा 19 विश्वा) वाके रोही भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ में जबरदस्ती प्रवेश नही करें तथा ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी देवे।

आदेश आज दिनांक 5.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. ऑचल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 14:04:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: